(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

अंकेक्षण कार्यालय इमामगंज, गया के लेखा का सामान्य अंकेक्षण विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक –15.09.1960 में निहित निर्देशों के अनुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। इस कार्यालय का कार्यक्षेत्र नौ हल्कों में बँटा हुआ है। इन हल्कों से राजस्व वसूली का कार्य होता है तथा वसूली गयी राशि को कोषागार में जमा कराया जाता है। साथ ही साथ भूमि सुधार से संबंधित अन्य कार्य भी इस कार्यालय के कार्य क्षेत्र में आता है। राजस्व वसूली से संबंधित सभी हल्कों के अभिलेखों की जाँच किया गया तथा वसूली से संबंधित जमा राशि का सत्यापन नाजीर रसीद एवं रोकड़ पुस्त से किया गया।

अंचल कार्यालय को राजस्व वसूली के अलावा समय–समय पर सरकार द्वारा आवंटन एवं अनुदान भी प्राप्त होता है जिसका वितरण कार्यालय कर्मचारियों एवं संबंधित लाभुकों में किया जाता है।

अंकेक्षित अवधि में कोषागार से निकासी की गयी राशि तथा कोषागार में जमा की गयी राशि का शत् प्रतिशत सत्यापन उप कोषागार शेर घाटी के अभिलेखों एवं कम्प्यूटर में दर्ज प्रविष्टि से किया गया तथा सही पाया गया।

अंकेक्षण में पूर्व के महालेखाकार एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की माँग की गयी परन्तु अंकेक्षण में अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः पूर्व के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा

(i) अंकेक्षित अवधि में अंचल कार्यालय, इमामगंज, गया को शीर्ष 2029 भू राजस्व 2055 ग्रामीण पुलिस 2245 सहाय्य, समाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत आवंटन प्राप्त हुआ था। आवंटन से संबंधित आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर द्रष्टव्य है। अंकेक्षित अवधि में प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2010–11 में शीर्ष पुलिस एवं भूराजस्व के वेतन भत्ते आदि में एक बड़ी राशि बचत के रूप में दिखलाई गई थी। परन्तु बचत की राशि का प्रर्त्यापण में संबंधित पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। बचत की राशि की समीक्षा प्रशासी विभाग द्वारा की जाय। बचत राशि से संबंधित विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर द्रष्टव्य है। वित्त विभागीय पत्रांक 7677 वि0 2 दिनांक – 31.10.200 के अनुसार त्रुटिपूर्ण बजट निर्माण की पूरी जबाब देही नियंत्री पदाधिकारी की है। अतः भविष्य में आवश्यकता अनुसार बजट बनाने के लिए प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

शीर्ष 2245 सहाय्य मद में वर्ष 2009 – 10 में राशि रूपया 75400.00 का आवंटन प्राप्त था। आवंटित राशि की निकासी नहीं की गयी थी। इस प्रकार बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 471 से 475 के अनुसार आवंटन व्ययगत कराना प्रावधान का उल्लंधन है। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की पूरी जिम्मेदारी है जिसकी ओर

(vi) श्री नीरज कुमार सिन्हा, नाजीर, दि0 – 20.9.11 से 31.3.12 तक

(vii) श्री राज कुमार वर्मा, प्रधान सहायक, दि0 – 01.04.2009 से 31.3.12 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :–	(i) श्री राजीव कुमार वर्मा, अंचलाधिकारी।
	(ii) श्री महेन्द्र प्रसाद, अंचलाधिकारी।
	(iii) श्री रमेश कुमार, नाजीर
(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :–	(1) डॉ० अरूण कुमार, व0अं0–1
	(2) श्री अरूण कुमार ब्रहमचारी, व0अं0–2
	(3) श्री नरेन्द्र कुमार दास, व0अं0–2
(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :–	24.10.2013
(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :–	21.07.2014
(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :–	62 दिन।
(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचीः–	– अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (क) पर अंकित है।

भी प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवंटन की निकासी की गयी थी।

हल्का से संबंधित माँग एवं वसूली की विवरणी परिशिष्ट "ग" पर द्रष्टव्य है। अग्रिम की राशि रू0 45724.00 अंकेक्षण अवधि के अन्त में था जो अंकेक्षण अवधि के पूर्व से चला आ रहा था। जिसका समायोजन नहीं किया गया था।

अंकेक्षण अवधि के अन्तिम तिथि को रूपये 387575.13 की राशि असमायोजित अभिश्रवों के रूप में रखी गयी थी। असमायोजित अभिश्रवों के रूप में राशियों का रखा जाना आवंटित मद की निकासी राशि विचलन का द्योतक है। जो बिहार बजट हस्तक के नियम 107,108,109 एवं 111 तथा 299 एवं 487 तथा कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 306 एवं 376 (3) के प्रावधानों का उल्लंधन है। असमायोजित अभिश्रवों से संबंधित मदों में आवंटन प्राप्त कर शीघ्र समायोजन किया जाय। भविष्य में इस तरह की स्थिति को रोकथाम हेतु उच्च पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

(ii) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के राशि का भौतिक सत्यापन :– वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 503 दिनांक – 29.1.1976 के निदेशानुसार अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को रोकड़ पंजी के अंतिम शेष रू0 1041369.98 था जिसका भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र रोकड़ पुस्त में अंकित करने हेतु आपूर्ति निर्गत किया गया, किन्तु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कर विवरण अंकित कर

अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया उक्त विन्दुओं की ओर प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

संवरण शेष :– अंकेक्षण लेखावधि में सामान्य रोकड़ वही का संवरण शेष निम्न रूप से था।

दिनांक	प्रारम्भण शेष
01.04.2009	716454.18 विस्तृत विवरणी अनुपलब्ध
दिनांक	संवरण शेष
31.03.2010	763805.18

संवरण का विवरण :–

क्र० सं०	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	पंजाब नेश्नल बैंक, इमामगंज	सी0 ए0 120	5030.37
2	भारतीय स्टेट बैंक	11467797376	26234.31

	मुख्य शाखा, शेरघाटी		
3	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सकरपुर	1022	7842.00
4	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, रानीगंज	सी0 ए0 13	9184.00
5	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, कोठी	सी0 ए0 4	2000.00
6	मगध सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक इमामगंज	सी0 ए0 18	140614.18
			190904.86
	अस्थाई अग्रिम की राशि		45724.00
	अभिश्रव		378210.50

	एकल ताला		148965.82
		कुल	763805.18

दिनांक   संवरण की राशि

31.03.2011   1113812.68

विस्तृत विवरणी अनुपलब्ध।

दिनांक	प्रारम्भण शेष
31.3.2012	843518.98

संवरण का विवरण :–

क्र० सं०	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	पंजाब नेश्नल बैंक,	सी0 ए0 120	5030.37

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 45/2014–15

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – :– अंचल कार्यालय, इमामगंज (गया)।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधिः– वर्ष 2009–10 से 11–12 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नामः– भू–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–

(i) श्री संजय कुमार सिंह, (आई0 ए0 एस0) जिला पदाधिकारी 1.4.2009 से 11.2..11 तक।

(ii) श्री सौयल अहमद, ए. डी0 एम0 – 11.2.2011 से 13.2.11 तक।

(iii) श्रीमती बन्दना प्रेयसी, (आई0 ए0 एस0) जिला पदाधिकारी 13.2.11 से 31.3.12 तक।

(ङ) अंकेक्षित लेखा के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–

(i) श्री के0 पी0 गुप्ता, अंचलाधिकारी 1.4.09 से 03.4.2010 तक।

(ii) श्री राजीव कुमार वर्मा, अंचलाधिकारी दि0 –4.4.10 से 31.3.12 तक।

(iii) श्री राजेश प्रसाद, नाजिर, 01.04.2009 से 16.7.2009 तक।

(iv) श्री अजय कुमार, नाजीर, दि0 – 17.7.2009 से 05.06.2011 तक

(v) श्री अशोक कुमार आनन्द, नाजीर, दि0 – 06.06.11 से 19.09.2011 तक

	इमामगंज		
2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सकरपुर	1022	7842.00
3	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, रानीगंज	सी0 ए0 13	9184.00
4	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, कोठी	सी0 ए0 4	2000.00
5	मगध सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक इमामगंज	सी0 ए0 18	122289.18
6	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, शेरघाटी	11467797376	273081.31
		योग :–	409426.86
	अस्थाई अग्रिम की राशि		45724.00

	अभिश्रव		387575.13
	एकल ताला		792.99
		कुल	843518.98

(4) अंकेक्षित अवधि में स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों की स्थिति :–

अंचल कार्यालय इमामगंज, गया के लिए स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट ''घ'' पर द्रष्टव्य है। स्वीकृत बल कार्यरत बल के अन्तर्गत पाया गया।

भाग – 2

कंडिका – 5. वास्तविक अभिश्रवों से कम अभिश्रवों का पाया जाना रूपये 119052.50 का संभावित गबन :–

सामान्य रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि सामान्य रोकड़ पुस्त में दिनांक 31.03.10 को संवरण शेष के भौतिक सत्यापन में दी गयी विवरणी में असमाजित अभिश्रव के रूप में रू0 378210.50 का अभिश्रव दिखलाया गया था, परन्तु वास्तविक अभिश्रव रू0 259158.00 का ही था। शेष अभिश्रव रू0 119052.50 का खोया हुआ दिखलाया गया था। अभिश्रवों को अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत कराने तथा स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपत्ति निर्गत किया गया। परन्तु आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नहीं पाया गया। इस प्रकार खोये हुए अभिश्रवों की कुल राशि रू0 119052.50 का गबन हो सकता है।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है कि असमायोजित अभिश्रवों की जाँच कर गबन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय साथ ही इस आशय की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाए।

6. रू0 37342.15 राजस्व वसूली की राशि से कम जमा कर गबन किया जाना।

(क) रू0 27242.25 कम जमा किया जाना :–

हल्का सं0 4 के भू राजस्व वसूली की जाँच में पाया गया कि पंजी 3 क के अनुसार लेखा वर्ष 2009–2010 में कुल राजस्व की वसूली रूपये 102842.25 की गयी थी, परन्तु अंचल नजारत में विभिन्न नाजीर रसीदों द्वारा जमा करायी गयी राशियों का योग मात्र रूपये 75600.00 ही पाया गया। परिशिष्ट ''क'' पर द्रष्टव्य। इस प्रकार रूपये 102842.25 – 75600.00 = रू0 27242.00 की राशि अंकेक्षण समाप्ति लिपिक अंचल नजारत में जमा नहीं करायी गयी थी। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नहीं था।

अतः रूपये 27242.00 अंचल नजारत में कम जमा किया गया।

(ख) रूपये 10,099.90 कम जमा किया जाना :–

हल्का सं0 4 लेखा वर्ष 2011–2012 के भू राजस्व वसूली की जाँच में पाया गया कि पंजी 3 क के अनुसार कुल राजस्व की वसूली रूपये 155110.05 की गयी थी, परन्तु संबंधित कर्मी द्वारा अंचल नजारत में अंकेक्षण समाप्ति तक मात्र रू0 145010.15 ही जमा कराया गया था। नजारत में जमा नहीं करायी गयी राशियों की विवरणी परिशिष्ट ''ड़'' पर द्रष्टव्य।

इस प्रकार रूपये 15510.05 – 145010.15 = अन्तर कुल रू0 10099.90 अंचल नजारत में जमा नहीं करायी गयी थी। निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नहीं था।

इस प्रकार उप कंडिका 6 (क) की राशि 27242.25 एवं उप कंडिका 6 (ख) की राशि रू0 10099.00 कुल रूपया 37342.15 अंचल नजारत में कम जमा कर गबन कर लिया गया। जिसके लिए उत्तर दायी व्यक्तियों पर यथोचित विधि सम्बत कार्रवाई की जाय एवं इसकी सूचना वित्त अंकेक्षण विभाग को दी जाय।

कंडिका 7. राजस्व राशि की वसूली की गयी राशि से कम जमा कर कुल रूपये 8184.95 का गबन :–

लेखा वर्ष 2009–10 से 2011–2012 में विभिन्न हल्कों के राजस्व अभिलेखों की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि लगान रसीद द्वारा राजस्व राशियों की वसूली परान्त हल्का के लगान रोकड़ पुस्त 3 ए0 में प्रविष्ट की गयी थी परन्तु राशियों का कम योग कर (दिखाकर) तथा कम राशियों अंचल नजारत में जमा कर कुल रू0 8184.95 का गबन किया गया। जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''च'' पर अंकित है। विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभिन्न कर्मचारियों द्वारा वास्तविक वसूली राशि से कम राशि ही अंचल नजारत में जमा किया गया फलस्वरूप कुल रू0 8184.95 संबंधित कर्मचारी के पास शेष रह गया। इस प्रकार सरकारी राजस्व का गबन किया गया। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में भी ठोस कार्रवाई नहीं की गयी।

उक्त स्थिति में सुझाव दिया जाता है कि संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध द्वारा किए गए गबन के विरूद्ध विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

कंडिका 8. सैरात मद में राजस्व की राशि रू0 193623.00 की क्षति वसूली योग्य :–

सैरात संबंधि अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि गड़ेरिया (रानीगंज) वस पाकिंग की बन्दोवस्ती का सुरक्षित जमा के रूप में :–

वर्ष 2009–10 में रूपये 162000.00

वर्ष 2010–11 में रूपये 162208.00

वर्ष 2011–12 में रूपये 166415.00

निर्धारित था। वस पार्किंग की बन्दोवस्ती नहीं किए जाने के कारण बस पाकिंग से प्राप्त आय की कुल वसूली का कार्य अनियमित रूप से संबंधित हल्का कर्मचारी द्वारा कराया गया। संबंधित कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय जो अंचल कार्यालय में जमा किया गया वह राशि सुरक्षित जमा से भी कम पाया गया। इस तरह सुरक्षित जमा से कम राजस्व राशि 193623.00 के राजस्व की क्षति हुई।

क्षति की राशि का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	सुरक्षित जमा राशि	वसूली गयी राशि	शेष राशि
2009-10	1,62,000.0	1,05,000.0	57,000.0
2010-11	1,62,208.0	74,000.0	88,208.0
2011-12	1,86,415.0	1,38,000.0	48,415.0
	5,10,623.0	3,17,000.0	1,93,623.0

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट ''छ'' पर द्रष्टव्य।

इस संबंध में अंकेक्षण द्वारा आपत्ति निर्गत की गयी, जिसके अनुपालन में बन्दोवस्ती नहीं किए जाने एवं राजस्व की क्षति की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। अतः रूपया 193623.00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर क्षति की भरपायी की जाय साथ ही प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है कि वास्तव में बन्दोवस्ती नहीं किए जाने से की गयी क्षति की वास्तविकता की जाँच की जाय कि किसकी शिथिलता से राजस्व की क्षति हुई। साथ ही इस पर की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

कंडिका 9. सैरात मद की राजस्व राशि 10450.00 की क्षति वसूली योग :–

सैरात की जाँच में यह पाया गया कि लेखा वर्ष 2011–2012 में कोठी बाजार की सैरात बन्दोवस्ती सुरक्षित जमा के रूप में रू0 10950.00 निर्धारित था। परन्तु बन्दोवस्ती नहीं

होने के कारण सुरक्षित जमा राशि की वसूली का कार्य स्थित हल्का के राजस्व कमी को अनियमित रूप से सौंपी गयी थी। परन्तु कर्मी द्वारा मात्र 500 रूपये की वसूली कर अंचल कार्यालय के नजारत में जमा करायी गयी थी। इस प्रकार रूपये 10950.00 – 500.00 = रूपये 10450.00 के राजस्व की क्षति हुई जिसकी भरपाई संबंधित व्यक्ति से वसूल कर की जाय। क्षति की राशि पर अंकेक्षण द्वारा आपत्ति निर्गत की गयी। जिसके अनुपालन में बन्दो वस्ती नहीं किए जाने एवं राजस्व की क्षति की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है कि वास्तव में बन्दोवस्ती नहीं किए जाने से की गयी क्षति की वास्तविकता की जाँच की जाय कि किसकी शिथिलता से राजस्व क्षति हुई। साथ ही इस पर की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

कंडिका 10. सैरात मद की राजस्व राशि 1,20,000.00 की क्षति वसूली योग :–

लेखा वर्ष 2011–2012 सैरात की जाँच में यह पाया गया कि रानीगंज हाट बाजार की बन्दोवस्ती सुरक्षित जमा राशि रू0 120000.00 निर्धारित था। इसकी बन्दोवस्ती नहीं होने की गयी थी जिसके कारण सुरक्षित जमा राशि की वसूली का कार्य स्थित हल्के से संबंधित राजस्व कर्मी द्वारा किया जाना था। परन्तु सैरात राजस्व की कोई वसूली अंचल नजारत में जमा नहीं करायी गयी थी। इस प्रकार राजस्व की राशि रू0 120000.00 की क्षति हुई।

क्षति की राशि पर अंकेक्षण द्वारा आपत्ति निर्गत कर अनुपालन की माँग की गयी थी। जिसके अनुपालन में बन्दोवस्ती नहीं किए जाने एवं राजस्व की क्षति की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। अतः रूपये 1,20,000.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर क्षति की भरपायी की जाय।

साथ ही प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है कि वास्तव में बन्दोवस्ती नहीं किए जाने से की गयी क्षति की वास्तविकता की जाँच की जाय कि किसकी शिथिलता से राजस्व क्षति हुई। इस पर की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

कंडिका 11. सैरात मद की राजस्व राशि 64410.00 की क्षति वसूली योग :-

वर्ष 2010-11 एवं 2011-2012 के सैरात संबंधी अभिलेखों के अंकेक्षण में यह पाया गया कि इमामगंज बाजार की बन्दोवस्ती सुरक्षित के रूप में रू0 32205.00 प्रतिवर्ष हेतु निर्धारित था। बन्दोवस्ती नहीं किए जाने के कारण राशि की वसूली संबंधित राजस्व कर्मी द्वारा किया जाना था। परन्तु उक्त वर्षो में सैरात से राजस्व की वसूली कर अंचल नजारत में जमा नहीं करायी गयी थी। इस प्रकार सैरात राजस्व की वसूली राशि वर्ष 2010-11 एवं 11-12 में रू0 32205.00 ×2 = रू0 64410.00 की जानी थी। जिसकी क्षति हुई थी।

क्षति की राशि पर अंकेक्षण द्वारा आपत्ति निर्गत गयी। जिसके अनुपालन में बन्दोवस्ती नहीं किए जाने एवं राजस्व की क्षति की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। अतः रूपये 64410.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर क्षति की भरपायी की जाय।

साथ ही प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है कि वास्तव में बन्दोवस्ती नहीं किए जाने से की गयी क्षति की वास्तविकता की जाँच की जाय कि किसकी शिथिलता से राजस्व क्षति हुई। साथ ही इस पर की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

12. सैरात महुआ का फूल से राजस्व की राशि 2037.00 की क्षति वसूली योग :–

अंकेक्षण अवधि के सैरात संबंधी अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि ग्राम बिराज एवं इमनाबाद में क्रमशः बाद सं0 43 एवं 47 के महुआ का फूल की बन्दोवस्ती सुरक्षा जमा के रूप में प्रत्येक वर्ष क्रमशः 283 एवं 376 की थी। बन्दोवस्ती नहीं किए जाने एवं स्थिति हल्के के राजस्व कर्मी द्वारा अंचल नजारत में सैरात राजस्व की वसूली कर सुरक्षित जमा की राशि भी अंचल नजारत में जमा नहीं करायी गयी थी। इस प्रकार

बाद 43 द्वारा रू0 283 ×3 = 849.00

एवं बाद 47 द्वारा रू0 396 ×3 = 1188

कुल रू0 2037.00 की राजस्व की क्षति हुई। क्षति की राशि पर अंकेक्षण द्वारा आपत्ति निर्गत गयी। जिसके अनुपालन में बन्दोवस्ती नहीं किए जाने एवं राजस्व की क्षति की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। अतः रूपये 2037.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर क्षति की भरपायी की जाय।

साथ ही प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है कि वास्तव में बन्दोवस्ती नहीं किए जाने से की गयी क्षति की वास्तविकता की जाँच की जाय कि किसकी शिथिलता से राजस्व क्षति हुई। साथ ही इस पर की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

13. रूपये 300.00 वसूली योग्य :–

भूराजस्व संबंधी रसीदों की कार्यालय प्रति की जाँच में यह पाया गया कि हल्का सं0 –3 के लगान रसीद स0 762658 से दिनांक 11.8.2010 को कुल रू0 525.00 वसूल किया गया था। परन्तु पंजी 3 क में मात्र रूपये 225.00 ही दर्ज पाया गया। इस कारण अंचल कार्यालय शेष में रू0 525.00 – 225.00 = 300.00 कम जमा पाया गया। निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नहीं था।

अतः रूपये 300.00 दोषी व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा कराया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाए।

भाग – 3 सुझावात्मक

14. लम्बें समय तक अव्यवहृत राशि रू0 304587.03 को कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

विभिन्न सहायक रोकड़ पुस्तों की जाँच में पाया गया कि रूपये 304587.03 काफी दिनों से संवरण शेष के रूप में चला आ रहा था, जिसे कोषागार के विहित शीर्ष अन्तर्गत जमा कर दिया जाना चाहिए था। बिना खर्च योग्य राशि को निकासी कर सरकारी कोष में रखना बिहार कोषागार संहिता – 2011 के नियम 176 एवं 177 के विरूद्ध है।

विवरण निम्नवत् है :–

क्रम सं0	शीर्ष / मद	राशि
1	2505 रा0 ग्रा0 वि0 कार्यक्रम	32221.05
2	भू0 नि0 कार्यक्रम	23201.56
3	6401 कृषि कर्ज	45916.00
4	ऑपरेशन सिद्धार्थ	39079.00
5	निर्वाचन	40728.06
6	विद्यायक कोटा	37169.00

7	पल्स पोलियो विविध	49979.36
8	सु0 रो0 योजना	21750.00
9	2230 रा0 वृ0 पेंशन योजना	14543.00
	कुल रूपये :–	304587.03

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि कुल रूपये 304587.03 को प्रशासी विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त कर अबिलम्ब कोषागार में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाए।

15. लगान रसीद की कार्यालय प्रति एवं भंडार पंजी का रख रखाव सही ढंग से नहीं किया जाना :–

विभिन्न हल्कों के लगान रसीद वही एवं 3 क पंजी की जाँच में पाया गया कि कतिपय रसीदों को रद्द दर्शाया गया था। जिसपर अंचलअधिकारी या अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर नहीं था। कतिपय रसीदों की कार्यालय प्रति स्पष्ट नहीं थी। भंडार पंजी आंशिक ही पायी गयी जिससे लगान रसीद के दुरूपयोग की संभावना बनी रहती है।

अतः राजस्व रसीद एवं पंजी के रख रखाव एवं दुरूपयोग को रोकने के लिए नियंत्री पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

16. सैरात मद के राजस्व की वसूली तत्परता से नहीं किया जाना :–

अंचल कार्यालय इमामगंज के सैरात संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न रूपों में अंचल के अन्तर्गत सैरात से राजस्व की प्राप्ति हुआ करती है। परन्तु अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण में यह पाया गया कि इमामगंज बाजार, रानीगंज हाट बाजार एवं विभिन्न महुआ के फूलों से बन्दोवस्ती की प्रक्रिया होने से जितनी राजस्व की प्राप्ति होनी थी जो कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की लापरवाही तथा तत्परता नहीं बरतने के कारण उतनी राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई जिससे राजस्व की क्षति हुई थी।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि सरकार के सैरात मद में राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

17. भौतिक सत्यापन नियमित नहीं किया जाना :–

अंकेक्षण अवधि में ऐसा पाया गया कि रोकड़ का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से प्रत्येक माह की 15वीं, 30वीं तिथि को नहीं किया गया था। जो बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 तथा संशोधित के विरूद्ध है। भौतिक सत्यापन के नहीं किए जाने के कारण रोकड़ पुस्त में अनियमितता होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक माह की 15बीं एवं 30वीं तिथि को रोकड़ का भौतिक सत्यापन कर रोकड़ पुस्त में दर्ज किया जाय।

18. संवरण शेष का विस्तृत विवरण अंकित नहीं किया जाना :–

अंकेक्षण में पाया गया कि संवरण शेष का विस्तृत विवरण वित्तीय वर्ष 2010 – 11 में अंकित नहीं किया गया था। जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 305 ए का उल्लंधन है। साथ ही वित्त विभागीय ज्ञापांक 1192 वित्त दिनांक – 31.03.84 में निहित निदेशों के प्रतिकूल है।

अतः निकासी एवं व्ययन पदा0 द्वारा लेखा संधारण पर विशेष ध्यान रखा जाय ताकि वर्णित नियम एवं परिपत्र में विहित निदेशों का ससमय पालन सुनिश्चित किया जा सके।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0
राज किशोर सिंह, व0अं0–2

परिशिष्ट '' क ''

(कंडिका 1 ''ट'' से संबंधित)

अंकेक्षण में प्रस्तुत अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेख :–

1 विपत्र पंजी, – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

2 रेमिटेंश पंजी, – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

3 सामान्य रोकड़ पंजी – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

4 सहायक रोकड़ पंजी – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(i) शीर्ष 2029 भूराजस्व – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(ii) शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(iii) शीर्ष 2015 निर्वाचन – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(v) शीर्ष 2505 सुनिश्चित रोजगार योजना – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(vi) शीर्ष 6401 कृषि कर्ज – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(vii) शीर्ष 2245 सहाय्य – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(viii) शीर्ष 2071 पेंशन – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(ivi) शीर्ष पल्स पोलियों – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(ix) शीर्ष 2230 रा0 वृ0 पेंशन योजना – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(x) शीर्ष ऑपरेशन सिद्धार्थ – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(xi) शीर्ष विद्यायक कोटा – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(xii) भू0 नि0 कार्यक्रम – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(xiii) सु0 रो0 योजना – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

5 भंडार पंजी आंशिक – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक।

6 आकस्मिक पंजी वर्ष – 2009–10 से 2011–12 तक।

7 यात्रा भत्ता भुगतान पंजी एवं निकासी कार्यालय– वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

8 विभिन्न शीर्षों की अभिश्रवों की रक्षि संचिकाएँ – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

9 विभिन्न हल्कों की शुल्क संग्रहण पंजी लगान रसीद की कार्यालय प्रति – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

10 सैरात पंजी

11 अग्रिम पंजी – वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का।

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख की सूची :–

1 विभिन्न कर्मचारियों का सेवा पुस्त

2 लगान रसीद की स्टाक पंजी – वर्ष 2009–10 से 11–12

3 बैंकों का पासबुक एवं बैंक विवरणी – वर्ष 2009–10 से 11–12

परिशिष्ट ''ख'' कंडिका 3 से संबंधित

अंचल कार्यालय इमामगंज गया।

शीर्ष 2029 भू राजस्व के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–

क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पत	अभ्युक्ति
1	वेतनादि	36,51,547.00	36,26,320.00	25,227.00	0.00	0.00	प्रत्यार्पण संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	यात्रा व्यय	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
4	वाहन रख रखाव	34,000.00	33,805.00	195.00	0.00	0.00	
5	वर्दी / पोशाक	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	

परिशिष्ट ''ख''

अंचल कार्यालय इमामगंज गया।

शीर्ष 2055 पुलिस के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–

क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पत	अभ्युक्ति
1	वेतनादि	59,51,691.00	59,41,529.00	10,162.00	0.00	0.00	प्रत्यार्पण संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	वर्दी / पोशाक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	वाहन ईंधन रख रखाव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

परिशिष्ट ''ख''							
अंचल कार्यालय इमामगंज गया।							
शीर्ष 2245 सहाय्य के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–							
क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यापित	अभ्युक्ति
1	खाद्यान्न की आपूर्ति राशि	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	इस राशि की निकासी नहीं की गई है।
2	0005 आग लगने से राहत कार्य	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
3	0006 आग लगने से राहत कार्य	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
4	0007 आग लगने से क्षतिग्रस्त मकान के लिए अनुदान	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
5	0008 औपबंधित आपूर्ति	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
				75,400.00			

परिशिष्ट ''ख''							
अंचल कार्यालय इमामगंज गया।							
शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–							
क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पत	अभ्युक्ति
1	शीत लहर से बचाव हेतु	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	

परिशिष्ट ''ख'' कंडिका 3 से संबंधित							
अंचल कार्यालय इमामगंज गया।							
शीर्ष 2029 भू राजस्व के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–							
क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पत	अभ्युक्ति
1	वेतनादि	56,69,064.00	47,89,370.00	8,79,694.00	0.00	0.00	प्रत्यार्पण संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	यात्रा व्यय	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
4	वाहन रख रखाव	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
5	वर्दी / पोशाक	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	

परिशिष्ट "ख"

अंचल कार्यालय इमामगंज गया।

शीर्ष 2055 पुलिस के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–

क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पत	अभ्युक्ति
1	वेतनादि	89,95,107.00	80,13,730.00	9,81,377.00	0.00	0.00	प्रत्यार्पण संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	वर्दी / पोशाक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	वाहन ईंधन रख रखाव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

परिशिष्ट "ख"

अंचल कार्यालय इमामगंज गया।

शीर्ष 2245 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–

क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पत	अभ्युक्ति
1	प्राकृतिक आपदा	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	

परिशिष्ट "ख"

अंचल कार्यालय इमामगंज गया।

शीर्ष 2029 भू राजस्व के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–

क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यापित	अभ्युक्ति
1	वेतनादि	43,57,411.00	43,56,847.00	564.00	0.00	564.00	ज्ञापांक 201 दिनांक 29.3.12 के समाहर्त्ता गया प्रत्यार्पण।
2	यात्रा व्यय	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
4	वाहन रख रखाव	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
5	दूरभाष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	विद्युत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	वर्दी / पोशाक	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
8	कार्यालय व्यय लोक सेवाओं का अधिकार	59,250.00	23,500.00	35,750.00	0.00	35,750.00	ज्ञापांक 200 दिनांक 29.3.12 के समाहर्त्ता गया प्रत्यार्पण।

परिशिष्ट ''ख''							
अंचल कार्यालय इमामगंज गया।							
शीर्ष 2055 पुलिस के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–							
क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित	अभ्युक्ति
1	वेतन एवं भत्ते	85,11,852.00	85,00,376.00	11,476.00	0.00	रू0 11476.00 ज्ञापांक 202 दिनांक 29.3.12 द्वारा जिला पदाधिकारी गया को प्रत्यार्पित।	

परिशिष्ट ''ख''							
अंचल कार्यालय इमामगंज गया।							
शीर्ष 2245 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–							
क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित	अभ्युक्ति
1		0.00	0.00	0.00	0.00		वित्तीय वर्ष 2011–12 में शीर्ष 2245 के अंतर्गत किसी प्रकार का आवंटन प्राप्त नहीं हुआं।

क्रम सं0	परिशिष्ट ''ग'' कंडिका 3 से संबंधित। मांग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष 2009–2010 अंचल इमामगंज गया, वर्ष 2009 – 2010 अनुमंडल शेरघाटी , जिला – गया।									
	मद	कुल माँग वर्ष 2009–10 का			कुल माँग वर्ष 2009–10 का			कुल माँग वर्ष 2009–10 का			अभ्युक्ति
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लगान	7,22,618.00	2,25,620.00	9,48,238.00	1,38,139.00	1,58,093.90	2,96,232.90	5,84,479.00	67,526.10	6,52,005.10	
2	सेस	1,00,654.50	80,525.00	1,81,179.50	64,407.00	64,408.70	1,28,815.70	36,247.50	16,116.30	52,363.80	
3	शि0 सेस	2,01,309.00	1,61,050.00	3,62,359.00	1,40,604.00	1,07,125.90	2,47,729.90	60,705.00	53,924.10	1,14,629.10	
4	स्वा0 सेस	2,01,309.00	1,61,050.00	3,62,359.00	1,40,604.00	1,07,125.90	2,47,729.90	60,705.00	53,924.10	1,14,629.10	
5	कृषि सेस	39,346.72	82,995.00	1,22,341.72	25,173.40	75,251.20	1,00,424.60	14,173.32	7,743.80	21,917.12	
6	सूद	2,578.00	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	
7	योग	12,67,815.22	7,11,240.00	19,79,055.22	5,11,505.40	5,12,005.60	10,23,511.00	7,56,309.82	1,99,234.40	9,55,544.22	
8	सैरात	0.00	2,09,621.00	2,09,621.00	0.00	2,09,621.00	2,09,621.00	0.00	0.00	0.00	
9	विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	योग	12,67,815.22	9,20,861.00	21,88,676.22	5,11,505.40	7,21,626.60	12,33,132.00	7,56,309.82	1,99,234.40	9,55,544.22	

परिशिष्ट "ग" कंडिका 3 से संबंधित।											
मांग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष 2010–11											
अंचल इमामगंज गया, वर्ष 2010 – 2011 अनुमंडल शेरघाटी , जिला – गया।											
क्रम सं0	मद	कुल माँग वर्ष 2010–2011 का			कुल माँग वर्ष 2010–2011 का			कुल माँग वर्ष 2010–2011 का			अभ्युक्ति
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लगान	6,22,005.10	2,25,620.00	8,47,625.10	1,48,640.00	1,04,320.00	2,52,960.00	4,73,365.10	1,21,300.00	5,94,665.10	
2	सेस	52,363.80	80,525.00	1,32,888.80	38,604.00	45,215.00	83,819.00	13,759.80	35,310.00	49,069.80	
3	शि0 सेस	1,14,629.10	1,61,050.00	2,75,679.10	1,04,697.00	71,210.00	1,75,907.00	9,932.10	89,840.00	99,772.10	
4	स्वा0 सेस	1,14,629.10	1,61,050.00	2,75,679.10	1,04,697.00	71,210.00	1,75,907.00	9,932.10	89,840.00	99,772.10	
5	कृषि सेस	29,917.12	82,995.00	1,12,912.12	25,539.00	42,769.00	68,308.00	4,378.12	40,226.00	44,604.12	
6	सूद	607.00	0.00	607.00	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	
7	योग	9,34,151.22	7,11,240.00	16,45,391.22	4,22,784.00	3,34,724.00	7,57,508.00	5,11,367.22	3,76,516.00	8,87,883.22	
8	सैरात	0.00	1,35,847.00	1,35,847.00	0.00	1,35,847.00	1,35,847.00	0.00	0.00	0.00	
9	विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	योग	9,34,151.22	8,47,087.00	17,81,238.22	4,22,784.00	4,70,571.00	8,93,355.00	5,11,367.22	3,76,516.00	8,87,883.22	

परिशिष्ट ''ग'' कंडिका 3 से संबंधित।

मांग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष 2011–12

अंचल इमामगंज गया, वर्ष 2011 – 2012 अनुमंडल शेरघाटी , जिला – गया।

क्रम सं0	मद	कुल माँग वर्ष 2011–2012 का			कुल माँग वर्ष 2011–2012 का			कुल माँग वर्ष 2011–2012 का			अभ्युक्ति
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लगान	4,72,422.17	2,25,620.00	6,98,042.17	2,02,060.20	1,29,105.50	3,31,165.70	47,235.80	31,388.90	78,624.70	
2	सेस	1,15,020.05	80,525.00	1,95,545.05	1,03,802.60	76,850.00	1,80,652.60	3,040.00	959.60	3,999.60	
3	शि0 सेस	1,95,528.60	1,61,250.00	3,56,778.60	1,86,656.20	1,57,528.00	3,44,184.20	2,003.70	601.05	2,604.75	
4	स्वा0 सेस	1,95,528.60	1,61,250.00	3,56,778.60	1,86,656.20	1,57,528.00	3,44,184.20	4,880.40	2,239.40	7,119.80	
5	कृषि सेस	95,421.00	82,595.00	1,78,016.00	82,437.80	64,120.50	1,46,558.30	4,268.00	1,732.45	6,000.45	
6	सूद	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	
7	योग	10,74,012.42	7,11,240.00	17,85,252.42	7,61,613.00	5,85,132.00	13,46,745.00	61,519.90	36,921.40	98,441.30	
8	सैरात	0.00	1,71,880.00	1,71,880.00	0.00	1,47,500.00	1,47,500.00	0.00	24,380.00	24,380.00	
9	विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	योग	10,74,012.42	8,83,120.00	19,57,132.42	7,61,613.00	7,32,632.00	14,94,245.00	61,519.90	61,301.40	1,22,821.30	

परिशिष्ट "घ" कंडिका 4 से संबंधित					
अंचल कार्यालय, इमामगंज गया के स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की सूची :—					
क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अभ्युक्ति
1	शीर्ष 2029 अंचलाधिकारी	1	1	0	
2	शीर्ष 2029 लिपिक	6	5	1	
3	शीर्ष 2029 अंचल निरीक्षक	1	0	1	
4	शीर्ष 2029 राजस्व कर्मचारी	11	8	3	
5	शीर्ष 2029 अनुसेवी	3	3	0	
6	शीर्ष 2029 अमीन	1	0	1	
7	शीर्ष 2055 दफादार	8	3	5	
8	शीर्ष 2055 चौकीदार	62	48	14	
		93	68	25	

परिशिष्ट ''ड़'' कंडिका क एवं ख से संबंधित			
अंचल कार्यालय, इमामगंज गया वर्ष 2009 – 10 से 11 – 12 :–			
क्र० सं०	नाजीर रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	567835	03-07-2009	10,000.00
2	567852	20-08-2009	10,000.00
3	567872	22-10-2009	21,000.00
4	567874	29-10-2009	1,600.00
5	567881	12-11-2009	2,500.00
6	567884	20-11-2009	3,000.00
7	567887	04-12-2009	3,000.00
8	567893	07-01-2010	7,000.00
9	567915	04-02-2010	10,000.00
10	567923	22-02-2010	7,500.00
		कुल योग	75,600.00

परिशिष्ट "ड़" कंडिका क एवं ख से संबंधित			
अंचल कार्यालय, इमामगंज गया वर्ष –2011 – 12 :–			
क्र० सं०	नाजीर रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	175843	09-08-2011	5,000.00
2	175894	23-12-2011	15,000.00
3	175866	20-09-2011	12,000.00
4	83878	04-02-2012	10,000.00
5	175835	26-09-2011	8,000.00
6	175861	13-09-2011	21,000.00
7	83888	14-03-2012	5,000.00
8	83858	18-01-2012	15,000.00
9	83863	09-02-2012	1,500.00
10	83902	27-03-2012	33,000.00
11	83904	27-03-2012	17,424.15
12	175824	15-06-2011	2,086.00
		कुल योग	1,45,010.15

परिशिष्ट "च" कंडिका 7 से संबंधित						
क्र० सं०	हल्का सं0	वित्तीय वर्ष	वास्तविक वसूली की गई राशि	योग में कम दिखाने के कारण वास्तविक जमा राशि	कम जमा राशि	अभ्युक्ति
1	9	2009-10	99,425.95	97,390.00	2,035.95	
2	9	2010-11	1,04,190.20	1,03,235.00	955.20	
3	8	2009-10	71,308.45	68,670.00	2,638.45	
4	8	2010-11	81,368.85	79,475.00	1,893.85	
5	5	2009-10	1,30,736.55	1,30,358.55	378.00	
6	6	2009-10	1,47,162.00	1,46,998.25	163.75	
7	2	2011-12	1,28,272.90	1,28,170.25	102.65	
8	1	2010-11	2,821.00	2,813.00	8.00	पंजी 3 क के पृष्ठ 13 पर अंकित
9	1	2010-11	12,188.75	12,179.75	9.00	पंजी 3 क के पृष्ठ 18 पर अंकित
					8,184.85	

परिशिष्ट ''छ'' कंडिका 8 से संबंधित			
अंचल कार्यालय, इमामगंज गया वर्ष 2009 – 10 से 11 – 12 :–			
सैरात जमा विवरणी 2009–10			
क्र० सं०	नाजीर रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	567842	09-07-2009	20,000.00
2	567903	29-01-2010	10,000.00
3	567925	01-03-10	10,000.00
4	567941	25-03-10	45,000.00
5	567855	20-08-2009	10,000.00
6	567875	20-10-2009	10,000.00
		कुल योग	1,05,000.00

परिशिष्ट ''ड़'' कंडिका 8 से संबंधित			
अंचल कार्यालय, इमामगंज गया वर्ष –2010 – 11 :–			
सैरात जमा विवरणी 2010–11			
क्र० सं०	नाजीर रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	175711	23-12-2010	10,000.00
2	175703	19-08-2010	16,000.00
3	175764	30-03-2011	20,000.00
4	175721	20-01-2011	10,000.00

5	175732	03-02-2011	8,000.00
6	175745	22-02-2011	10,000.00
		कुल योग	74,000.00

परिशिष्ट ''ड़'' कंडिका 8 से संबंधित			
अंचल कार्यालय, इमामगंज गया वर्ष –2010 – 11 :–			
सैरात जमा विवरणी 2011–12			
क्र० सं०	नाजीर रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	083903	27-03-2012	28,000.00
2	083911	27-03-2012	10,000.00
3	083967	02-05-2012	90,000.00
4	083980	12-06-2012	10,000.00
		कुल योग	1,38,000.00